न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी -- डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 11/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/11

प्रकरण संख्या : 8/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/8

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

श्री सार्थक पुत्र श्री यशवन्त सेवक निवासी वार्ड नं. 9 वाडेल गर्ल्स विद्यालय के पास, कटारवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स लक्ष्मी स्वीट कॉर्नर, फुलवारी वाटिका के सामने, गौरवपथ रोड, गामोथवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी — श्री सार्थक

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–03–2023

श्री शशीकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 17–01–2023 को दो प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 पेश किया गये।

चूंकि दोनो प्रकरणो के तथ्य एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested

दोनो प्रकरणो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक [illegible]–2022 को एक बस जो कि उदयपुर से इन्दौर (बस नंबर [illegible] पी 13 पी 1726) जा रही थी जिसमे मिलावटी केक व अन्य मिठाईया जाने की सूचना पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया एवं पुलिस थाना सदर बांसवाडा मय जाप्ता लियो सर्कल बांसवाडा पर उक्त बस रुकवाकर निरीक्षण करने पर ड्राईवर द्वारा माल की बिल्टी जिसका इनवाईस नंबर 94

दिनांक 16.10.2022 अंकित था एवं बिल्टी लक्ष्मी डेयरी सागवाडा ने उक्त मिक्स केक अरिहन्त डेयरी फार्म भोपाल के नाम से जारी की गई थी। उक्त बस में 14 कार्टून में मिक्स केक भरा हुआ था, ड्राईवर ने बताया कि उक्त मिक्स केक पाटिया मोड डूंगरपुर से लोड कर इन्दौर ले जाया जा रहा है। रात का समय होने के कारण बस को मय जाप्ते थाना सदर लाकर उक्त माल को बस से उतरवाकर, मालिक के आने तक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया। दिनांक 17.10.2022 को मालिक श्री सार्थक सेवक कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर जॉच दल द्वारा समय 11.30 बजे थाना सदर पहुच कर विक्रेता मालिक श्री सार्थक के समक्ष खाद्य पदार्थ के कार्टुनो (14 कार्टुन प्रत्येक में 36 किलोग्राम प्रत्येक में 18 पैकेट) को खुलवाया प्रत्येक कार्टुन में 18 पैकेट, प्रत्येक पैकेट लगभग 2 किलोग्राम वजनी पैकेट रखा हुआ था जिन पर मिक्स केक (माधव) लिखा हुआ था। प्रथम दृष्टया मिक्स केक (माधव) मिसब्राण्डेड एवं मिलावटी प्रतित होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए 2–2 किलोग्राम मिक्स केक (माधव) वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 250–250 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा 2–2 किलोग्राम मिक्स केक (माधव) को दो अलग अलग साफ सुखे एवं खाली बर्तन में डालकर एक रुप कर पृथक–पृथक चार–चार साफ–सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव फॉर्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से एयर टाईड बन्द किया तथा अभिहित अधिकारी बॉसवाडा से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **W** 1217 चार नमुना भाग पर एवं पेपर स्लिप क्रमांक **W** 1216 अन्य चार भाग पर चिपकाकर आठ नमूना भाग को नियमानुसार सील बन्द किया। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिख कर स्वयं हस्ताक्षर कर समस्त नमूनो को अपने कब्जे में लिया। नमूना लेने के पश्चात शेष रहे लगभग 500 किलोग्राम मिक्स केक (माधव) का सीजर मेमो तैयार कर जॉच रिपोर्ट आने तक मैसर्स शाह टोप सेल्स बांसवाडा के कोल्ड स्टोरेज में श्री सार्थक सेवक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा कर उनसे हस्तलिखित फर्द रिपोर्ट में पाबंद किया कि विभाग द्वारा मांगे जाने पर उक्त सीज खाद्य पदार्थ मिक्स केक (माधव) ज्यो का त्यो सुपूर्द कर देगा। कब्जाशुदा समस्त नमुना भागों में से एक–एक नमूना भाग (**W** 1217, **W** 1216) मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

य निर्... अधिकारी
अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (रा.)

प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में में सील बन्द कर तथा नमुने का चौथा भाग मय फार्म नंबर 6 की प्रति के सील मोहर कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/856, 855 दिनांक 21.10.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 856, 855 दिनांक 21.10.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना **(W 1217, W 1216)** जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स केक (माधव)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिसब्राण्डेड एवं Contain extraneous matter under section 3(1)(i) होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 54 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

दोनो प्रकरण दिनांक 20-01-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28-02-2023 को अभियुक्त **श्री सार्थक पुत्र श्री यशवन्त सेवक** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरणो में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावलीयों में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 856, 855 दिनांक 21.10.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना **(W 1217, W 1216)** जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स केक (माधव)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिसब्राण्डेड एवं Contain extraneous matter under section 3(1)(i) होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरणों का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिसब्राण्डेड एवं Contain extraneous matter under section 3(1)(i) किया गया **मिक्स केक (माधव)** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 एवं 54 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री सार्थक पुत्र श्री यशवन्त सेवक निवासी वार्ड नं. 9 वाडेल गर्ल्स विद्यालय के पास, कटारवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स लक्ष्मी स्वीट कॉर्नर, फुलवारी वाटिका के सामने, गौरवपथ रोड, गामोथवाडा, सागवाडा, डूंगरपुर** को रूपये 100000/– (अक्षरे रू. एक लाख मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का.मु.चि. एवं स्वा.अधि. बॉसवाडा जब्त शुदा **मिक्स केक (माधव)** माल 500 कि.ग्रा. का नियमानुसार निस्तारण कर रिर्पोट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
(अति0. जिला कलक्टर)
बासवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested